



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 189 राँची, गुरुवार, 5 चैत्र, 1948 (श०)
26 मार्च, 2026 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना
23 जुलाई, 2024

संचिका संख्या-13/वि.स्था.(SoE)18-10/2024-1952--राज्य के 80 School of Excellence एवं 325BLAV (BLOCK LEVEL ADARSH SCHOOL) में कक्षा 08 से 12 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के शिक्षा में उन्नयन हेतु प्रति वर्ष Summative Assesment-I एवं Summative Assesment-II परीक्षा का आयोजन किया जाना है। SA-I एवं SA-II परीक्षा के आयोजन से School of Excellence एवं BLAV में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के अकादमिक विकास हेतु उनके ज्ञान के स्तर का आंकलन करने एवं तदालोक में उनको प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

उक्त परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में 02 बार किया जायेगा। परीक्षा OMRआधारित होगी। परीक्षा के आयोजन हेतु OMR सीट का निर्माण, प्रश्न-पत्रों का मुद्रण, परीक्षाफल का निर्माण तथा प्रकाशन आदि में व्यय हेतु प्रति परीक्षा प्रति छात्र 78/-रूपये का व्यय संभावित है। वर्तमान में राज्य के 80 School of Excellence एवं 325 BLAV में कक्षा-08 से 12 तक कुल 3,18,866 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। इस प्रकार वर्तमान में परीक्षा के आयोजन में कुल-4,97,43,096/- (चार करोड़ सन्तानवे लाख तैतालीस हजार छियानवे रूपये मात्र) का व्यय संभावित है।

उक्त परीक्षा के सम्पादन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् है:-

1. परीक्षा के आयोजन से संबंधित सभी कार्य झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची के स्तर से सम्पादित किये जायेंगे।
2. Summative Assessment-I एवं Summative Assessment-II परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं की सूची/विवरणी झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. उक्त सूची के आधार पर प्रति परीक्षा प्रति छात्र 78/-रूपये की दर से कुल व्यय होने वाली राशि का आंकलन करते हुए उक्त राशि राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड परियोजना परिषद्, रांची द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. राशि का विकलन मांग संख्या-58 अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, लघु शीर्ष-109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-73-ज्ञानोदय योजना (प्रकाशन एवं शिक्षण सेमिनार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण सहित), विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, विस्तृत शीर्ष-59-अन्य व्यय में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राशि की निकासी कर झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची को उनके PL खाता में उपलब्ध करायी जायेगी।
6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(उमाशंकर सिंह),

सरकार के प्रभारी सचिव।
